35/2009 रामप्रताप – बुद्धराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25-4-18	वकलाय [illegible] अपील बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 30-4-18 को पेश हो। [illegible]	
30-4-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत खाता विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाम्बी अहीर तहसील बुहाना में आराजी हाल खसरा 452 रकबा 2.54 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार सावंल, बुद्धराम, रामप्रताप पिता जगना हि0 3/4 व	

Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	मधुबाला पत्नी कृपानन्द हि0 1/4 के नाम दर्ज है । खासेदार सांवल का देहान्त हो चुका जिसका उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 स0-1 से 7 है जो मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है उक्त आराजी मे वादी का 1/4 हिस्सा, रामप्रताप का 1/4 हिस्सा व मधुबाला का 1/4 हिस्सा है । अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है । ग्राम लाम्बी अहीरण तहसील बुहाना में खाता सं0-134 में स्थित आराजी ख0नं0 379 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 380 रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 1.10 हैक्टर में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0-1 से 7 के पूर्वज सांवल का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 8 व 9 का भी 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की होने से पक्षकार अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर पाते अतः उक्त आराजी का मुताबिक राजस्व रेकार्ड वादी का खाता अलग किया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट द्वारा पेश उजरात पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत ने दावे का निर्णय तनकीवाईज नहीं किया है जबकि आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के आदेशात्मक प्रावधान है उनकी कोई पालना न कर आदेश पारित किया है । विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की गैर मौजूदगी में तैयार किये गये हैं। नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अदालत मातहत ने निर्णय अपनी मनमर्जी के अनुसार पारित किया है । अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति है जिसने प्रकरण की पैरवी अपने वकील के मार्फत ही की है । जब वह दिनांक 29-4-2009 को अपने वकील साहक

से मिला तब उन्होने बताया कि दावे का निर्णय हो गया तब निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 30-4-2009 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 18-5-09 को प्राप्त हुई । जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है । अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकीलों की बहस बगौर समाहत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2065 में आराजी ख0नं0 452 रकबा 2.64 हैक्टर की खातेदारी उमराव, होशियार, प्रकाश, सुभाष पि0 सावंल, सरबती पत्नी सावंल, मणी बाई, सुरेश पुत्री सांवल हि0 1/4, बुद्धराम, रामप्रताप पि0 जगना हि0 1/2, मधुबाला पत्नी कृपानन्द हि0 1/4 के नाम दर्ज है । ख0नं0 379, 380 कुल किता-2 रकबा 1.10 हैक्टर की खातेदारी मधुबाला पत्नी कृपानन्द हि0 1/4, बुद्धराम, रामप्रसाद पि जगनाराम हि0 1/2, उमराव होशियार, प्रकाश, सुभाष पि0 सांवल, सरबती पत्नी सांवल, मणी बाई सुरेश पुत्री सावंल हि0ब0 1/4 दर्ज है । राजस्व रेकार्ड एवं पक्षकारों की बहस से आराजी के हिस्से का कोई विवाद नहीं है । राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संयुक्त है जिसका विभाजन कर खाता अलग किये जाने का निवेदन दावे में किया गया । सुनवाई के बाद तहसीलदार को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये जिस पर तहसीलदार ने पक्षकारों के सामने मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये जिस पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं आने पर पक्षकारों को सुनकर विभाजन प्रस्ताव के

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-3-2009 यथावत रखा जाता है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । 30/4/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	